क्रम-संख्या-108

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 मार्च, 2008

फाल्गुन 24, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 519 / 79-वि-1–08-1(क)-12-2008

लखनऊ, 14 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 14 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 132 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 132 में,—

(क) उपधारा (3) में शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह लाख रुपये" तथा शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3-क) में शब्द "दो लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" तथा शब्द "चार लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (4) में शब्द "आठ लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (5) में शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच लाख रुपये" तथा शब्द "दो लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (7) में शब्द "उपधारा (3)" के स्थान पर शब्द "उपधारा (3) या उपधारा (3-क)" रख दिये जायेंगे।

धारा 135 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 135 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "आठ लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में शब्द "दो लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (1-क) में शब्द "चार लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (2) में शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं की लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगम की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए, गजट में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित कर सकती है।

धारा 136 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 136 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "आठ लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में शब्द "आठ लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (2) में शब्द "सोलह लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं की लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगम की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए, गजट में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित कर सकती है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 132 में संविदा के निष्पादन से सम्बन्धित कतिपय उपबन्ध किये गये हैं और धारा 135 एवं 136 में क्रमशः आठ लाख रुपये से अनधिक और आठ लाख रुपये से अधिक रुपये के तखमीने के सम्बन्ध में उपबन्ध किये गये हैं। उक्त धाराओं में सीमित धनराशि के विद्यमान उपबन्ध समयबद्ध योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वर्तमान में निर्माण सामग्रियों की लागत में वृद्धि हो गयी है और लोक निर्माण विभाग की दरें पुनरीक्षित हो गयी हैं। उक्त परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित कतिपय महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता है। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके संविदाओं के निष्पादन और तखमीने की स्वीकृति के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, महापौर, कार्यकारिणी समिति और निगम आदि के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 519(2)/LXXIX-V-1–08-1(Ka)-12-2008
Dated Lucknow, March 14, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor or March 14, 2008 .

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 12 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2008. Short title

Amendment of section 132 of U.P. Act no. 2 of 1959

2. In section 132 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) in sub-section (3) *for* the words 'one lakh rupees' the words 'fifteen lakh rupees' and *for* the words 'five lakh rupees' the words 'twenty lakh rupees' shall be *substituted.*

(b) in sub-section (3-A) *for* the words 'two lakh rupees' the words 'ten lakh rupees' and *for* the words 'four lakh rupees' the words 'fifteen lakh rupees' shall be *substituted.*

(c) in sub-section (4) *for* the words 'eight lakh rupees' the words 'twenty lakh rupees' shall be *substituted.*

(d) in sub-section (5) *for* the words 'one lakh rupees' the words 'five lakh rupees' and *for* the words 'two lakh rupees' the words 'ten lakh rupees' shall be *substituted.*

(e) in sub-section (7) *for* the words 'sub-section (3)' the words "sub-section (3) or sub-section (3-A)" shall be *substituted.*

Amendment of section 135

3. In section 135 of the principal Act,–

(a) in the marginal heading *for* the words 'eight lakh rupees' the words 'twenty lakh rupees' shall be *substituted.*

(b) in sub-section (1) *for* the words 'two lakh rupees' the words 'ten lakh rupees' shall be *substituted.*

(c) in sub-section (1-A) *for* the words 'four lakh rupees' the words 'fifteen lakh rupees' shall be *substituted.*

(d) in sub-section (2) *for* the words 'five lakh rupees' the words 'twenty lakh rupees' shall be *substituted.*

(e) after sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

(3) The State Government may, by notification in the *Gazette,* modify the monetary limits specified in sub-section (1) or sub-section (2) keeping in view the rise of costs or the exigencies of the work and efficiency of Corporation.

Amendment of section 136

4. In section 136 of the principal Act,–

(a) in the marginal heading *for* the words 'eight lakh rupees' the words 'twenty lakh rupees' shall be *substituted.*

(b) in sub-section (1) *for* the words 'eight lakh rupees' the words 'twenty lakh rupees' shall be *substituted.*

(c) in sub-section (2), in clause *(a) for* the words 'sixteen lakh rupees' the words 'thirty lakh rupees' shall be *substituted.*

(d) after sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

(3) The State Government may, by notification in the *Gazette,* modify the monetary limits specified in sub-section (1) or sub-section (2) keeping in view the rise of costs or the exigencies of the work and efficiency of Corporation.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 132 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) makes certain provisions relating to execution of contracts and sections 135 and 136 make provisions about the estimates not exceeding eight lakh rupees and exceeding eight lakh rupees respectively. The existing provisions of limited amounts in the said sections are not sufficient for the implemention of the time bound schemes. At present the costs of the construction materials have been increased and the rates of the Public Works Department have been revised. Under the above circumstances more amount are required for the implementation of certain important schemes financed by the Government of India. It has, therefore, been decided to amend the said Act to provide for increasing financial jurisdictions of the Municipal Commissioner, the Mayor, the executive committee and the Corporation etc. in relation to the execution of contracts and sanctions of estimates.

The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1185 राजपत्र (हि०)–(2624)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 458 सा०विधायी–(2625)–2008–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।